न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
बईजलास –पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या–41 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नंम्बर–2022 / 53

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोंडेन्टस्**
निजामूदीन पुत्र श्री अहदम खां, उम्र 69 वर्ष जाति मुसलमान सिपाही (शेरानी) निवासी कादरी कॉलोनी, मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर (मोबाईल नम्बर–9772215321)		1. नदीम पुत्र निजामुदीन 2. नईम पुत्र निजामुदीन जातियान मुसलमान सिपाही निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर

निर्णय **दिनांक** 02/05/2022

1–अपीलान्ट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–02 / 2020 निजामुदीन बनाम नदीम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2021 से व्यथित होकर दिनांक 28.01.2022 को यह अपील पेश की है। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2– उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह प्रकट किया कि अपीलांट, रेस्पोडेन्ट का पिता हैं और रेस्पोडेन्ट, अपीलांट के जायन्दा पुत्र हैं, अपीलांट 67 वर्षीय वृद्धा, बीमार व सहाय व्यक्ति हैं। अपीलांट के साथ दिनांक 02–06–2018 को शाम 6.30 बजे रेस्पोडेन्ट व इसके साथ में अन्य मुलजिमान ने मिलकर मारपीट कर जिससे अपीलांट लव लूहान होकर बेहोश हो गया। जिसका मुकदमा भी अपीलांट की ओर से पुलिस थाना मेड़तासिटी में दर्ज करवाया। जिसके मुकदमा नं. 218 / 2018 अंतर्गत धारा 323, 354 / 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 7 / 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दर्ज करवाया। जिसमें पुलिस ने गहनता से अन्वेषण कर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में पॉक्सो कोर्ट मेड़तासिटी में चालान भी पेश किया। अपीलांट उक्त मारपीट से घायल हो गया, जिस पर अपीलांट को अजमेर हॉस्पीटल में ईलाज हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् अजमेर से जयपुर हॉस्पीटल ईलाज हेतु रैफर किया गया। जहां पर अपीलांट को करीब 7–8 दिन बाद में होश आया। उक्त घटना से अपीलांट का एक हाथ व एक पैर ने काम करना बंद कर दिया अर्थात अपीलांट लकवाग्रस्त हो गया। अपीलांट मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गया हैं तथा अपीलांट की सोचने समझने की स्थिति भी बहुत कम हो गई हैं। अपीलांट का एक हाथ व एक पैर तथा दिमाग काम कम करने से अपीलांट कमाने खाने में असमर्थ हो गया। अपीलांट के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट अपीलांट के जायन्दा पुत्र हैं। रेस्पोडेन्ट अपीलांट से सख्त अदावत, रंजिश व दुश्मनी रखते हैं। अपीलांट के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपीलांट कमाने खाने का मोहताज हो चुका हैं। अपीलांट उठने, बैठने, चलने, फिरने व खाने कमाने में असमर्थ हैं। रेस्पोडेन्ट, अपीलांट से प्राप्त सम्पति का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा अपने आवास व निवास के लिए उपयोग में ले रहे हैं और रेस्पोडेन्ट सं. 1 नक्शा नवीस का कार्य करता हैं, रेस्पोडेन्ट सं. 1 का डेगाना में नक्शा नवीस का कार्यालय स्थापित हैं, एवं कुशल व अच्छा व होशियार नक्शा नवीस हैं, मकान, दुकानें, प्लॉट, प्लानिंग आदि समस्त प्रकार के कार्य करता हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 उक्त कार्य से प्रतिमाह 60,000 / – रूपये आसानी से कमा लेता है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ में कार्य करता हैं व मकान बनाने का कुशल व अच्छा कारीगर तथा ठेकेदार है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 मेड़ता डेगाना तथा आस पास के गांवों में मकान बनाने का ठेका लेता हैं और रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अधीनस्थ 20–30 मजदूर प्रतिदिन कार्य करते हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की आमदनी भी प्रतिमाह 60,000 / – रूपये इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण प्रतिमाह 60,000+60,000=1,20,000 / – रूपये आसानी से कमा लेते हैं। किन्तु अपीलांट की कोई आय नहीं हैं। जिससे अपीलांट के भरण पोषण हेतु रेस्पोडेन्ट को आदेश दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। रेस्पोडेन्ट बदनियति पर उतारू हैं और

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अपीलांट का भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। जिससे अपीलांट बिल्कुल बेसहारा हो गया हैं और ईलाज के अभाव में मृत्यु होने की सम्भावना हो गई हैं। अपीलांट अत्यन्त वृद्ध, बीमार, निर्धन व असहाय व्यक्ति हैं। अपीलांट के ईलाज हेतु अभी भी दवाइयां चलती हैं, अपीलांट बी.पी., शुगर व लकवे की स्थाई बीमारी से ग्रस्त हैं। अपीलांट को अपने ईलाज व भरण पोषण हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है। रेस्पोडेन्ट का वैधानिक व नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पिता यानी अपीलांट को भरण पोषण की राशि अदा करें। श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय ने नगरपालिका मण्डल मेड़तासिटी को पत्र भेजकर अपीलांट की जायदाद के सम्बन्ध में सूचना चाही, जिस पर कार्यालय नगरपालिका मण्डल मेड़तासिटी ने दिनांक 25–08–2021 को श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की रिपोर्ट प्रेषित की कि अपीलांट के नाम से मेड़तासिटी में किसी प्रकार की अचल सम्पति नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन को प्रार्थना पत्र की दिनांक से स्वीकार नहीं करते हुए केवल मात्र आदेश की दिनांक 21–12–2021 से यह आदेश प्रदान किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 पृथक पृथक रूप से 3–3 हजार रूपये अपीलांट को अदा करें। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

2(1)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से देय होना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 21–12–2021 से लागू करने में कानूनी एवं वाकियाती गलती की है। जबकि कानून की यह मंशा है कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक से स्वीकृत होना चाहिए ।

2(2)–अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से 10–10हजार रूपये प्रतिमाह की मांग की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र 3–3 हजार रूपये अदा करने का आदेश किया है,जो कम किया है। जो 10–10हजार रूपये प्रतिमाह नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है।

2(3)–अपीलांट के नाम से मेड़तासिटी में व मेडतासिटी के बाहर किसी प्रकार की कोई अचल सम्पति नहीं है, अपीलांट ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की थी और दोनों को अलग–अलग बंट देकर अपीलांट ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, रेस्पोडेन्ट के पास में रहवासी पक्का मकान है, जो अपीलांट के द्वारा दिया गया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट परिवार सहित निवास करते हैं, रेस्पोडेन्ट युवा, नौजवान है, सक्षम है तथा कुशल व अच्छे नक्शा नवीस व ठेकेदार है। रेस्पोडेन्ट की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। रेस्पोडेन्ट का अच्छा व्यापार है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिमाह 1,20,000/– रूपये आसानी से कमा लेते है, जबकि अपीलांट वृद्ध व बीमार होने के कारण कमाने खाने में असमर्थ है, इसलिए अपीलांट को रेस्पोडेन्ट से 10–10 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में दिलाये जाने न्यायोचित है।

2(4)–अपीलांट वृद्ध होने से उसकी आंखों की रोशनी भी अच्छी नहीं है और बीपी, शुगर तथा लकवे से ग्रस्त होने के कारण व बीमार हो जाने के कारण अपीलांट ड्राईविंग करने में असमर्थ हो गया है। इसलिए अपीलांट अपने जीविकोपार्जन के लिए रेस्पोडेन्ट पर निर्भर है।

2(5)–योग्य अदालत मातहत ने परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझा है तथा पत्रावली पर उपलब्ध जुबानी व दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं करने का कथन करते हुए अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को उसके भरण पोषण हेतु 10,000–10,000/– रूपये प्रतिमाह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से अदा करने का रेस्पोडेन्ट को आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

3–रेस्पोडेन्टस् ने अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी ने विरूद्ध रेस्पोडेन्टस् अप्रार्थीगण के एक आवेदन धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिकरण अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता के समक्ष भरण पोषण दिलाने हेतु पेश किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र है। प्रार्थी वृद्ध है जिनकी उम्र 67 वर्ष है। प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने दिनांक 02–06–2018 को मारपीट की जिससे प्रार्थी बेहोश हो गया। जिसका मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। उक्त घटना से प्रार्थी लकवाग्रस्त हो गया व मानसिक रूप से कमजोर हो गया है तथा जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से सख्त अदावत, रंजिश व दुश्मनी रखते है। प्रार्थी के बुढ़ापे का नाजायज फायदा उठाते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी से सम्पति का उपयोग कर रहे है और अप्रार्थीगण दोनों प्रतिमाह 60,000/– रूपये आसानी से कमा रहे है, किन्तु प्रार्थी की कोई आय नहीं है। अप्रार्थीगण बदयान्ति पर उतारू है और प्रार्थी को भरण पोषण से वंचित कर रहे है। जिससे प्रार्थी बिल्कुल बेसहारा हो गया है और भूखे मरते मृत्यु होने की संभावना हो गई है, प्रार्थी अत्यन्त वृद्ध, बीमार व असहाय व्यक्ति है प्रार्थी के ईलाज हेतु अभी भी दवाईयां चलती है, प्रार्थी बी.पी. शुगर, व लकवे की बीमारी से ग्रस्त है। प्रार्थी को अपने ईलाज व भरण पोषण हेतु रूपये की सख्त आवश्यकता है। जिस पर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपना जबाब पेश किया। तत्पश्चात् अधि. न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

स्वीकार करते हुवे दिनांक 21.12.2021 को आदेश जैर अपील पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3(1)–वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के अधिनियम 2007 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अथवा माता पिता जो अपने स्वयं के अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है वे ही इस अधिनियम के तहत आते है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत हुवे उससे अपीलान्ट इस अधिनियम के तहत आवेदन करने का अधिकारी ही नहीं था, क्योंकि अपीलान्ट निजामुदीन के नाम का राशन कार्ड (बारकोड) संख्या–110801500237, उपभोक्ता संख्या 00895 जो नगर पालिका मण्डल मेड़तासिटी से जारी हो रखा है, जो निजामुदीन के नाम से जारी हो रखा है, उसमें अपीलान्ट निजामूदीन की उम्र 55 वर्ष दर्ज है, यदि अपीलान्ट निजामुदीन की यह उम्र सही है तो वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि प्रार्थना पत्र में निजामुदीन ने अपनी उम्र 67 वर्ष बतलाई है तथा अपीलान्ट निजामुदीन ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य व सच्ची बातें पेश नहीं की है, सच्चाई को छुपाते हुए अपनी दूसरी शादी को व दूसरी पत्नी व दूसरी शादी से पैदा हुई संतानो को छुपाते हुए झूठ बोलते हुए न्यायालय के समक्ष, न्यायालय को गुमराह करते हुए यह गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्योंकि अपीलान्ट निजामुदीन ने करीबन 25 वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेन्ट नदीम व नईम व उनकी माता को नेगलेक्ट/ त्याग करके दूसरी शादी नूरजहां से कर ली है तथा अपीलान्ट निजामुदीन की इस दूसरी शादी से उसके दो लड़के और दो लड़कियां उत्पन्न हुई है, जिनका नाम साहिना, इस्लामुदीन, इजाज व सानिया बानों है। यह सभी तथ्य न्यायालय से छुपाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। क्योंकि अगर आज निजामुदीन की उम्र 67 वर्ष है, तो उसके इन दोनों लड़के इस्लामुदीन की उम्र 26 वर्ष है व इजाज की उम्र 23 वर्ष हो चुकी है तथा साहिना की उम्र 28 वर्ष व सानिया बानों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तथा अपीलान्ट निजामुदीन ने जब से यानी 25 वर्ष पूर्व से शादी से लेकर आज तक उसका यह परिवार उसके साथ रह रहा है और निजामुदीन व उसके दोनों पुत्र कमाते है और अपना परिवार 25 वर्षों से चला रहे हैं, इस प्रकार अपीलान्ट निजामुदीन असहाय बिल्कुल नहीं है, उसका परिवार पूरा उसके साथ है तथा इन 25 वर्षों से लेकर आज तक अपीलान्ट निजामुदीन अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां व अपने बच्चों का भरण पोषण यानी इन सबका दवाई, पढ़ाई, लिखाई, खाना पीना, रहना, कपड़े इत्यादि सभी का खर्च उक्त निजामुदीन आज तक वहन करता आ रहा है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)– करीबन 25–30 वर्ष पूर्व अपीलान्ट निजामुदीन ने रेस्पोडेन्ट नदीम व उनकी माता हाजरा को दहेज की डिमाण्ड करते हुए व मारपीट करते हुए जब रेस्पोडेन्ट नदीम की उम्र लगभग 1 वर्ष थी तथा रेस्पोडेन्ट नईम जब अपनी माता के गर्भ में था, तब मारपीट करते हुए व दहेज की डिमाण्ड करते हुए निजामुदीन ने इनको घर से बाहर निकाल दिया था, तब से लेकर आज तक अपीलान्ट निजामुदीन ने रेस्पोडेन्ट नदीम व नईम व उनकी माता हाजरा को नेगलेक्ट/त्याग रखा है तथा आज तक उसने रेस्पोडेन्टस् का पिता होने का फर्ज व नैतिक व कानूनी दायित्व एक दिन भी नहीं निभाया है तथा आज तक उनकी पढ़ाई, लिखाई, दवाई, कपड़े इत्यादि पर एक रूपया भी खर्च नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट नईम व नदीम को तब से लेकर आज तक उनकी माता हाजरा ने ही भरण पोषण किया है व पालन पोषण किया है, उनको पढ़ाया लिखाया है, उनकी बीमारी, दवाई, कपड़े, लत्ते इत्यादि का सभी का पालन पोषण उनकी माता हाजरा ने करके रेस्पोडेन्टस् को इतना बड़ा किया है। रेस्पोडेन्ट की माता ने अपीलान्ट निजामुदीन के विरूद्व धारा 498–ए आईपीसी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था व रेस्पोडेन्ट व उनकी माता ने धारा 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अपने भरण पोषण हेतु अपीलान्ट निजामुदीन के विरूद्व सिविल न्यायालय मेड़ता में दिनांक 04–08–1998 को पेश किया था, जिसमें अपीलान्ट निजामुदीन के बयान भी दिनांक 26–08–2002 को न्यायालय में हुए थे, जिसमें निजामुदीन ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि "हाजरा मेरी पत्नी है, नदीम व नईम मेरे पुत्र है, यह तीनों ही मेरे साथ नहीं रहते हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए यह मेरे साथ नहीं रहते है। इसके बाद न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 28–11–2008 को यह आदेश दिय[illegible] रेस्पोडेन्टस् नदीम व नईम व उनकी माता को 500–500/– रूपये के हिसाब से कुल [illegible] रूपये प्रतिमाह अदा करें। परन्तु अपीलान्ट निजामुदीन ने उक्त न्यायालय की [illegible] रेस्पोडेन्ट व उनकी माता को 1/– रूपया भी अदा नहीं किया है। उक्त [illegible] अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बदयांतिपूर्वक ढंग से सम्पूर्ण तथ्यों [illegible] पेश किया था तथा अब अपीलान्ट ने हस्तगत अपील पेश की जो खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)–अपीलान्ट निजामुदीन ने रेस्पोडेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा को उक्त प्रकार से दहेज की डिमाण्ड करते हुए मारपीट करते घर से बाहर निकाल दिया, नेगलेक्ट कर दिया, त्याग दिया, उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पश्चात् भी अपीलान्ट निजामुदीन व उसके परिवार वालों ने कई बार रेस्पोडेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा के साथ कई बार मारपीट भी की है, जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से एक फौजदारी प्रकरण सं. 102/2013, (75/2011), सरकार बनाम निजामुदीन वगैराह भी हुआ है, जिसमें निजामुदीन व उसके परिवार वालों ने रेस्पोडेन्ट नदीम, नईम व उनकी माता हाजरा के साथ मारपीट की है, जिसमें श्रीमान अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता ने विचारण कर अपीलान्ट निजामुदीन व उसके परिवार वालों को दोषी माना है।

3(4)—अपीलान्ट निजामुदीन ने एक वाहन टाटा लोडिंग गाड़ी नं. आर जे 19जी डी 2057 भी ले रखा है, जो अपनी दूसरी पत्नी नूरजहां के नाम से ले रखी है, जिसका संचालन निजामुदीन स्वयं ही करता है तथा उक्त वाहन से ही अपनी दैनिक मजदूरी भी करता है।

3(5)—रेस्पोडेन्टस् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब आवेदन पेश किया उसके पैरा सं. 4 से 8 में अपीलान्ट निजामुदीन की सम्पत्तियों एवं उसके आय के स्त्रोत के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य अंकित किये तथा उसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश की, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट स्वंय के भरण पोषण के लिए सक्षम है। अपीलान्ट द्वारा प्रत्येक रेस्पोडेन्ट की प्रति माह आमदनी 60,000/–रूपये होने एवं रेस्पोडेन्ट का जिस प्रकार से काम धन्धा होना बताया है, अपीलान्ट का यह कथन पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है। बल्कि रेस्पाडेन्ट के इतनी कमाई नहीं है। रेस्पोडेन्ट मजदूरी आदि करके छोटी–मोटी कमाई करते है, जिनसे उनका गुजर बसर ही हो पाता है।

3(6)—वर्ष 2018 में रेस्पोडेन्टस् की माता हाजरा द्वारा भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली हेतु कुर्की की कार्यवाही की गई, तब रेस्पोडेन्ट मात्र 2000/–रूपये जमा करवाये तथा शेष राशि न्यायालय में अथवा रेस्पोडेन्ट व उनकी माता को नहीं देना पड़े, इस बदनियति से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया है।

3(7)—उक्त प्रकार से अपीलान्ट निजामुदीन अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी दूसरी बीबी नूरजहां व अपनी संताने साहिना, इस्लामुदीन, इजाज व सानिया बानों के साथ पिछले करीबन 25 वर्षों से रह रहा है तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, अपीलान्ट निजामुदीन के पास बहुत सारी सम्पतियां भी है, जिनके विद्युत कनेक्शन भी निजामुदीन के नाम से हैं, जिनको उसने किराये पर दे रखी है तथा वह स्वयं ड्राईवरी का कार्य करता है, अपीलान्ट बिल्कुल भी असहाय नहीं है, सम्पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा उक्त प्रकार से सही व सत्य तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए झूठे कथन करते हुए अपनी दूसरी शादी, दूसरी बीवी व संतानों को छुपाते हुए गलत रूप से गलत व झूठा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को निरस्त करने का निवेदन किया है।

4—उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपने स्वंय के भरण पोषण हेतु रेस्पोडेन्टगण जो कि अपीलान्ट के पुत्र है, के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–02/2020 निजामुदीन बनाम नदीम वगैरह दर्ज कर प्रकरण कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 21.12.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर मुख्यतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पृथक–पृथक रूप से 3000–3000/–रूपये प्रतिमाह प्रार्थी को भरण पोषण हेतु संदाय करने का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस् से 10,000–10,000/–रूपये प्रति माह प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से दिलाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्ष के कथनों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा दूसरी शादी की गई है तथा अपीलान्ट की पहली पत्नी हाजरा अपने पुत्रों रेस्पोडेन्टस् के साथ रहती है। अधिनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 48/03 (104/98) नदीम, नईम व हाजरा बनाम निजामुदीन अन्तर्गत [illegible] द.प्र.सं. निर्णय दिनांक 28.11.2008 प्रति के अनुसार भी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट व उनकी माता [illegible] भरण पोषण के रूप में कुल 1500/–रूपये प्रति माह अदा करने का आदेश पारित किया गया है। इसके [illegible] अन्य आपराधिक प्रकरण भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस् व रेस्पोडेन्टस की माता [illegible] की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2019 अन्तर्गत धा[illegible] रेस्पोडेन्टस की माता व अपीलान्ट की पत्नी हाजरा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हाजरा द्वारा उक्त भरण पोषण की राशि बढ़ाई जाकर प्रति माह 10,000/–

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

दिलाने का निवेदन किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस् के मध्य फौजदारी प्रकरण होने से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के मध्य मनमुटाव हाना स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में पूर्ण यकीन से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलान्ट के भरण पोषण की गम्भीर समस्या है। इसके अलावा अपीलान्ट का कथन कि प्रत्येक रेस्पोडेन्ट की मासिक आय 60,000–60,000/–रूपये होने के संबंध में जिस प्रकार से कथन किये है, उन कथनों को साबित करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। रेस्पोडेन्टस् ने भी उनकी आय–60,000–60,000/–रूपये प्रति माह होने के अपीलान्ट के कथन को अस्वीकार किया है। इसलिए प्रत्येक रेस्पोडेन्ट की मासिक आय 60,000–60,000/–रूपये होने का अपीलान्ट का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की सम्पति के संबंध में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मेड़तासिटी से रिपोर्ट चाही जाने पर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक 2030 दिनांक 25.08.2021 से नगरपालिका मेड़तासिटी के गृहकर व नगरीय विकास कर रिकार्ड अनुसार अपीलान्ट निजामुदीन के नाम से किसी प्रकार की अचल सम्पति दर्ज नहीं होना बताया है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का समुचित रूप से भरण पोषण करने का उनकी संतान एवं बालकों का एक नैतिक कृर्त्वय है, और इसी सन्दर्भ में उक्त अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय जैर अपील पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को पृथक–पृथक रूप से 3000–3000/–रूपये प्रतिमाह अपीलान्ट को भरण पोषण हेतु संदाय करने आदि के संबंध में जो आदेश दिया गया है, वह उचित होने से निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट मेड़ता द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस् को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

6–निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:42 IST
Reason: SelfAttested